Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JAN-FEB, 2019, VOL- 6/49

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : एक मूल्याँकन

Right to Education Act (2009) A Evaluation

दिनेश बहादुर सिंह
असि0 प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग,
आर0आर0पी0जी0कालेज, अमेठी
dineshbahadur.amethi@gmail.com

शोध–सार

किसी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यदि शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट एवं वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप है तो निश्चित रूप से विकास की सम्भावनाएँ प्रबल होंगी। किसी भी देश या समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के लिए वहाँ शिक्षा का दीप जलाना आवश्यक है। शिक्षा ज्ञान एवं संस्कार दोनों की प्रहरी है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा यह किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति को निर्णायक दिशा देती है। गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रचार–प्रसार द्वारा ही देश के विकास को वाँछित गति एवं दिशा दी जा सकती है। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राष्ट्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया एक अत्यन्त ही दूरगामी कदम ळें

भारत में बाल शिक्षा के क्षेत्र में नई अवधारणाओं का जन्म सन् 1992–1993 में तब हुआ जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस चार्टर का हस्ताक्षर कर्ता देश होने के कारण भारत को बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो गया। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश के मामले में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अध्याय तीन के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग है। इस निर्णय के बाद सन् 2002 में 86वें भारतीय संविधान संसोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक 4 अगस्त सन 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया। अन्ततः भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने की यात्रा लगभग एक शताब्दी के बाद 2010 में अपनी मंजिल प्राप्त कर सकी और पूरे देश (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हो गया है।

6 से 14 वर्ष आयु के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू हुए लगभग 9 वर्ष पूरे हो गये हैं। अब तक देश के निम्न वर्ग के करोड़ों बच्चों को गरीबी की वजह से शिक्षा प्राप्त नही हो पाती थी लेकिन इस कानून के लागू हो जाने के बाद ऐसी आशा की जा सकती है कि अब प्रत्येक बच्चे को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं–

- 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है अतः अब अभिभावकों की भी जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
- बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए घर से एक किमी0 एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन किमी0 दूरी के दायरे में ही स्कूल की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे व अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दण्ड नही दिया जाएगा।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- बच्चों का सतत् और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय निम्न वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी।
- निजी स्कूलों में बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी व बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबन्ध होगा।
- बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा, ना ही स्कूल से निकाला जाएगा और ना ही उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं करेगा।
- प्रत्येक 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित शिक्षक होगा।
- विकलांग एवं मन्द बुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
- शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा राहत जैसे राष्ट्रीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगायी जाएगी।
- शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसे केन्द्र व राज्य सरकारें वहन करेंगी।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा का अवलोकन इस प्रकार है:

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से सरकार की विद्यालयी शिक्षा में सुधार के प्रति गम्भीरता तो दिखाई दे रही है यह परन्तु शिक्षा जगत् से जुड़े विशेषज्ञों को इस बात में शक है कि क्या इस कानून का वास्तविक लाभ उन बच्चों को मिल सकेगा, जिनके लिए यह कानून बनाया गया है या यह कानून महज कागजों तक सीमित होकर रह जाएगा।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' अधिसूचित की है। इस नियमावली के कई प्रावधानों को लागू करने में बेसिक शिक्षा विभाग व्यावहारिक कठिनाईयाँ महसूस कर रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची में दिए गए मानकों के अनुसार न तो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है औन न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकारी (ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम) अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक के अभिलेखों के सर्वेक्षण के माध्यम से अनुरक्षण करेगा, इस प्रावधान का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। आज हमारे देश में लगभग 22 करोड़ (उ0प्र0 में 1 करोड़ 77लाख) बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या तक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना सरकार के लिए आसान नहीं है। कुछ केन्द्रीय विद्यालय इस कार्य में ईमानदारी पूर्वक अवश्य लगे हुए हैं पर इन विद्यालयों तक सिर्फ 10 लाख बच्चों की ही पहुँच है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण करने पर निम्नांकित कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं–

1– इस अधिनियम के तहत सभी स्कूलों में न्यूनतम मानक लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे देश में स्कूलों का वर्गीकरण अधिनियम की धारा 2छ के अनुसार 4 वर्गों में किया गया है–

1. सरकारी स्कूल।
2. अनुदान प्राप्त निजी स्कूल।
3. विशिष्ट श्रेणी के स्कूल (केन्द्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय)।
4. अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिनियम के कई प्रावधान अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों या अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं।

- इस अधिनियम में कोई भी भाषा नीति शामिल नहीं की गई है। केवल यह कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम यथासंम्भव बच्चों की मातृ भाषा होगी।
- मातृभाषा की परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का विकल्प खुला रखा गया है।
- इस कानून में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जब कि आज के समय में बच्चे साधारणतया 3 वर्ष की आयु में ही स्कूल जाना प्रारम्भ कर देते हैं।
- यह कानून शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में न लगाने की बात करते हुए भी उनकी ड्यूटी जनगणना, आपदा राहत, और सभी प्रकार के चुनावों में लगाने की छूट देता है। चूंकि सरकारी शिक्षकों को ही इन कार्यो में लगाया जाता है, अतः इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है और अधिकतर गरीब बच्चे इन सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं अतः गरीब बच्चों के साथ इस कानून के द्वारा किया गया एक और भेदभाव है।
- अधिनियम की धारा 2ठ की परिभाषा के अनुसार कैपिटेशन फीस वह शुल्क है, जो स्कूल द्वारा अधिसूचित फीस के अतिरिक्त हो। अतः यह कानून अप्रत्यक्ष रूप से निजी स्कूलों को अधिसूचित करके मनचाही फीस लेने का अधिकार देता है। परिणामतया निजी स्कूल बिना रसीद के अन्य तरीकों से कैपिटेशन फीस लेना जारी रख सकते हैं। अगर किसी स्कूल को दोषी पाया गया तो उसके लिए सजा (कैपिटेशन फीस का 10 गुना) है जोकि बहुत ही कम है।

- इस अधिनियम के तहत कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाने का कार्य करेंगे, जबकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, हमारे देश में शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का अभाव है ऐसे में इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन प्रतीत हो रहा है।
- शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख स्तम्भ बताये गये हैं– छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। हमारे यहां छात्र और पाठ्यक्रम तो हैं परन्तु पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है जिससे यह प्रक्रिया पूरी होने में शक है।
- इस कानून के तहत शिक्षक एवं छात्र अनुपात को निर्धारित तो किया गया है परन्तु इस अनुपात को पूरा करने की कोई निर्धारित समयावधि तय नहीं की गई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सफल बनाने हेतु सुझाव–

यदि हम यथार्थ रूप में अपने देश के सारे बच्चों को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सफल बनाने हेतु निम्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को क्रियान्वित करना चाहिए।

- इस अधिनियम के प्रावधानों को समस्त प्रकार के विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाय।
- शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को समाप्त किया जाना चाहिये एवं प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होनी चाहिए।
- शिक्षकों से गैरशिक्षकीय कार्य लेना पूरी तरह से बन्द किया जाना चाहिए, और ये कार्य उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर कराये जायें।
- संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रस्तुत करते हुये स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हमारे देश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की वर्तमान संख्या आवश्यकता के अनुरूप आधी है तथा उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि राज्यों को मिलकर नये स्कूलों का निर्माण करवाना चाहिए एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित समयावधि तय की जाये और अधिनियम द्वारा निर्धारित शिक्षक–छात्र अनुपात को पूरा करने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें।
- अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने वाले शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु समुचित संस्थाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से न ले सकें इसके लिए अगर कोई स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में सेवारत शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण देते हुए नवीन आयामों से परिचित कराया जाय।
- शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो।
- प्राथमिक शिक्षकों का समुदाय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो व समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन साधनों को इच्छाकृत रूप से स्वीकारने के लिए निरन्तर तत्पर रहें।
- सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि शिक्षक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जिससे वे अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर सकें।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के बच्चों की शिक्षा के लिए उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। यह अधिनियम सैद्धान्तिक रूप से तो आदर्श है परन्तु व्यावहारिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं यह प्रश्न अभी भविष्य की गर्त में है। इस सन्दर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को जो ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसके बारे में प्रशासकों की राय है कि यह तो हद ही हो गई। पहले हमारे काम–काज में दखल और अब हमारे निजी जीवन के निर्णयों में भी हस्तक्षेप हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णयनुमा आदेश दिया है कि सरकारी खजाने से वेतन या सुविधा ले रहे बड़े लोगों के बच्चे जबतक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे उनकी दशा में सुधार नहीं होगा। आगे चलकर इस निर्णय का अंत चाहे जो हो, लेकिन यह निश्चित है कि इसके द्वारा न्यायालय ने न केवल देश के वर्तमान में बेहद उपेक्षित नागरिकों के शिकायत भरे विचारों को ही आवाज दी है, बल्कि जनता एवं प्रशासन के बीच के उस रिश्ते की भी याद दिलायी है जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का एक मूल मंत्र हो सकता है। यह मूल मंत्र प्रशासकों को स्वयं को एक सामान्य नागरिक समझकर उन्हीं के बीच शामिल होने का मंत्र है। यदि इसी तर्ज पर न्यायालय के आदेश को सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाये तो उनकी स्थिति में अचानक क्रान्तिकारी सुधार आने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि इस अधिनियम में उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए जायें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम शत् प्रतिशत साक्षर होंगे।

सन्दर्भ–सूची

सारस्वत, मालती (2008)	'भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ', आलोक प्रकाशन, लखनऊ।
पाठक पी0डी0, (2009)	भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	'संवाद' गनेशपुर, बाराबंकी, (2011)
शर्मा कनक (अगस्त 2012)	'शिक्षा का अधिकार' कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
लाल, रमन बिहारी एवं पलोड़, सुनीता (2016–2017)	समकालीन भारत और शिक्षाः विषय और मुद्दे, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies